सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1164/MP/20/2022-ESDW **दिनांक: ~~18~~.01.2023** 19

सेवा में,

श्री संजय दुबे,
प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
वीबी-2, वल्लभ भवन एनेक्स, मंत्रालय
भोपाल -462001 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: secyenergy@mp.gov.in

विषय: म. प्र. राज्य की विधयुत कंपनीयों में भारतीय में प्रदत्त अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अवहेलना कर अनुसूचित जनजाति को अधिकारों से वंचित करने के संबंध में श्री किशोर कुमार वंजारी, प्रांतीय महासचिव, 138, प्राइवेट बिजली नगर कॉलोनी, गोविंदपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 26.11.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री किशोर कुमार वंजारी से दिनांक 26.11.2022** में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

जारी किया
ISSUED
20/1/23

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री किशोर कुमार वंजारी,
प्रांतीय महासचिव,
मध्य प्रदेश विधयुत मण्डल आरक्षित वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संघ,
138, प्राइवेट बिजली नगर कॉलोनी,
गोविंदपुरा, भोपाल,
मध्य प्रदेश